गंगा कार्य योजना

*125. **श्री राम नरेश यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वाराणसी, कानपुर और ऋषिकेश जैसे शहरों में अपशिष्ट/गंदगी के कारण गंगा में प्रदूषण को रोकने के लिए गंगा कार्य योजना के अधीन शुरू की गई योजनाओं की मोटी-मोटी रूपरेखा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और इस कार्य योजना के हर दृष्टि से कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) गंगा कार्य योजना के अधीन परियोजनाओं के पूरा होने तक अनुमानतः कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) गंगा कार्य योजना का केन्द्र-बिन्दु यह है कि नदी के किनारों पर बसे हुए श्रेणी—I के नगरों से नदी में प्रवाहित अनुपचारित सीवेज द्वारा गंगा नदी में उत्पन्न प्रदूषण का निवारण किया जाए। कार्य योजना के अंतर्गत हाथ में ली गई स्कीमें इस प्रकार हैं :—

1. नालियों, नालों और सीवरों के नदी में प्रवाहित होने वाले अनुपचारित मलजल का अवरोधन और दिशा-परिवर्तन।

2. सीवेज पम्पिंग स्टेशनों का नवीकरण या उनका निर्माण करके इस प्रकार के अपशिष्ट जल का सीवेज उपचार संयंत्रों की ओर दिशा-परिवर्तन।

3. जहां संभव हो जैव-ऊर्जा, सेचक के रूप में उपचारित बहिःस्राव, अवमल खाद जैसी संसाधन प्रतिलाभ सुविधाओं सहित सीवेज उपचार संयंत्रों का नवीकरण या निर्माण।

4. सेवा (सर्विस) शौचालयों का स्वच्छता (सैनिटरी) शौचालयों में परिवर्तन और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण जैसे अल्प लागत स्वच्छता कार्यक्रम।

5. विद्युत शवदाहगृहों आदि का निर्माण।

(ख) और (ग) 292.31 करोड़ रुपये की लागत के निर्माण-कार्यों का एक व्यापक कार्यक्रम केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 27 नगर सम्मिलित हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए धनराशि का आबंट 240 करोड़ रुपये हैं। 31 मार्च, 1988 तक 216.98 करोड़ रुपये की अनोमानित लागत पर 205 स्कीमें मंजूर की गई हैं। सरकार ने अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 75.31 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। सभी संस्वीकृत स्कीमों में काम प्रगति पर है। अब तक 4.81 करोड़ रुपये की लागत पर 15 स्कीमें पूरी की जा चुकी है। अपशिष्ट जल के अवरोधन और दिशा-परिवर्तन, अल्प लागत स्वच्छता, विद्युत शवदाहगृह इत्यादि की अधिकांश स्कीमों के सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

Review of National Forest Policy

*126. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:
SHRI BHAGATRAM MANHAR:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Forest Policy framed in 1952 has become obsolete in the present context;

(b) if so, what steps are being taken to revise the Forest Policy; and